उत्तर रेलवे

प्रधान कार्यालय
बड़ौदा हाउस
नई दिल्ली
दिनांक: 9 /05/2023

पत्र सं. 403-T/190/5/OPTG/Rule/21
मण्डल रेल प्रबन्धक,
उत्तर रेलवे,
दिल्ली, फिरोजपुर, मुरादबाद, लखनऊ एवं अम्बाला।

विषयः उत्तर रेलवे परिचालन नियमावली 2016 का संशोधन पत्र सं.02 दिनांक 03.05.2023 (English &Hindi version)

उत्तर रेलवे परिचालन नियमावली 2016 का संशोधन पत्र सं. 02 दिनांक 03.05.2023 (अँग्रेजी व हिन्दी) की प्रतिलिपि आपके सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु भेजी जा रही है।

उप मुख्य परिचालन प्रबन्धक/सामान्य

प्रतिलिपिः-

1. प्रमुख मुख्य अभियन्ता, उ0रे0 बड़ौदा हाउस, नई दिल्ली। (Pr.CE)
2. प्रमुख मुख्य संरक्षा अधिकारी, उ0रे0 बड़ौदा हाउस, नई दिल्ली। (Pr. CSO)
3. प्रमुख मुख्य विद्युत अभियन्ता, उ0रे0 बड़ौदा हाउस, नई दिल्ली। (Pr. CEE)
4. प्रमुख मुख्य सिगनलएवं दूर संचरा अभियन्ता, उ0रे0 बड़ौदा हाउस, नई दिल्ली। (Pr. CSTE)
5. प्रमुख मुख्ययांत्रिक अभियन्ता, उ0रे0 बड़ौदा हाउस, नई दिल्ली। (Pr. CME)
6. मुख्य चलस्टाक अभियन्ता, उ0रे0 बड़ौदा हाउस, नई दिल्ली। (CRSE)
7. वरिष्ठ मण्डल परिचालन प्रबंधक, उ0रे0, दिल्ली फिरोजपुर, मुरादाबाद, लखनऊ एवं अम्बाला ।
8. वरिष्ठ मण्डल परिचालन प्रबंधक/सा. उ0रे0, दिल्ली, फिरोजपुर, मुरादाबाद, एवं लखनऊ ।
9. मण्डल परिचालन प्रबंधक/सा. उ0रे0, अम्बाला।
10. वरिष्ठ मण्डल अभियन्ता, (आर एस ओ) उ0रे0, दिल्ली, फिरोजपुर, मुरादाबाद, लखनऊ एवं अम्बाला।
11. वरिष्ठ मण्डल विद्युत अभियन्ता/समन्वय, उ0रे0, दिल्ली, फिरोजपुर, मुरादाबाद, लखनऊ एवं अम्बाला।
12. वरिष्ठ मण्डल सिगनल एवं दूर संचार अभियन्ता, उ0रे0, दिल्ली, फिरोजपुर, मुरादाबाद, लखनऊ एवं अम्बाला।
13. वरिष्ठ मण्डल संरक्षा अधिकारी, उ0रे0, दिल्ली, फिरोजपुर, मुरादाबाद, लखनऊ एवं अम्बाला।
14. वरिष्ठ मण्डल यांत्रिक अभियन्ता, उ0रे0, दिल्ली, फिरोजपुर, मुरादाबाद, लखनऊ एवं अम्बाला।
15. प्रधानाचार्य, क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान, उ0रे0, उत्तर रेलव चन्दौसी।
16. प्रभारी प्रशिक्षक, संरक्षा शिविर/मंडल परिचालन प्रशिक्षण केन्द्र, उ0रे0, फिरोजपुर, लखनऊ, धर्मपुर, कुरुक्षेत्र,कालका NM.शाहजहाँपुर एवं मुरादाबाद ।
17. मुख्य मुद्रण एवं लेखन सामग्री प्रबन्धक, उ0रे0 शकूरबस्ती (दो प्रति) कृपया उपरोक्त संशोदन पत्र सं. 02 दिनांक 03.05.2023 को उत्तर रेलवे गजट में प्रकाशित करें।
18. प्रमुख मुख्य परिचालन प्रबंधक, उत्तर पश्चिम रेलवे NWR जयपुर, उत्तर मध्य रेलवे NCRसूबेदार गंज प्रयागराज,पश्चिम मध्य रेलवे WCR जबलपुर, उत्तर पूर्व रेलवे NER गोरखपुर, पूर्व मध्य रेलवे ECRहाजीपुर व पूर्व रेलवे ER कोलकाता।
19. Pr.COM प्रमुख मुख्य परिचालन प्रबंधक, CFTM, मुख्य माल भाडा यातायात प्रबंधक CTPM मुख्य यातायात योजना प्रबंधक, COM/G मुख्य परिचालन प्रबंधक/सामान्य & CPTM मुख्य यात्री यातायात प्रबंधक।

परिचालन नियमावली, 2016, उत्तर रेलवे का संशोधन पत्र संख्या–2 दिनांकः03.05.2023

वर्तमान खंड 29002 के उप खंड (अ)(1) को हटायें और निम्नलिखित को प्रतिस्थापित करें:–

(अ) वर्गीकरण की विधिः

(1) गत छः माह के निष्पादन के आधार पर वर्गीकरण किया जाएगा। नीचे दी गई प्रत्येक प्राधिमानितः सहित कर्मचारी के निष्पादन के विश्लेषण के दौरान निम्न महत्वपूर्ण मापदंडों को लिया जाए। संपूर्ण निष्पादन की जांच के लिए 100 पूर्णांक दिए गए हैं।

(क) समूह 'ग' कर्मचारियों के लिएः

- नियमों का ज्ञान – 25 अंक
- दिन प्रतिदिन के कार्य में सतर्कता व नियमों का अनुप्रयोग – 25 अंक
- संरक्षा रिकॉर्ड का रखरखाव – 10 अंक
- नेतृत्व और प्रबंधन – 10 अंक
- अनुशासन – 10 अंक
- व्यक्तित्व और स्वच्छता – 10 अंक
- कार्यस्थल पर वरिष्ठों और अन्य कर्मचारियों के साथ पारस्परिक संबंध – 10 अंक

(ख) समूह 'घ' कर्मचारियों के लिएः

- नियमों का ज्ञान – 25 अंक
- दिन प्रतिदिन के कार्य में सतर्कता व नियमों का अनुप्रयोग – 25 अंक
- विफलता/असामान्य परिस्थितियों के समय कार्यदक्षता – 20 अंक
- अनुशासन – 10 अंक
- व्यक्तित्व और स्वच्छता – 10 अंक
- वरिष्ठों और सहकर्मियों के साथ पारस्परिक संबंध – 10 अंक

(मनोज कृष्ण अखौरी)
प्रमुख मुख्य परिचालन प्रबंधक

Amendment Slip No. 02 dated 3.05.2023 to the Operating Manual, 2016, of Northern Railway.

Delete the existing sub para (A) (1) of para 29002 and substitute as under:

A) **Method of Categorization:**

1) Categorization will be based on performance for the last six months. The important parameters to be taken into account while analyzing the performance of the employee along with weightage of each is given below. 100 marks are allotted to judge overall performance, as under:

a) For group 'C' staff:

- Knowledge of rules - 25 marks
- Alertness and application of rules in day to day working. - 25 marks
- Safety record maintenance - 10 marks
- Leadership & management - 10 marks
- Discipline - 10 marks
- Appearance & neatness - 10 marks
- Inter-personal relationship with superior and other staff at work place. - 10 marks

b) For group 'D' staff:

- Knowledge of rules - 25 marks
- Alertness and application of rules in day to day working. - 25 marks
- Working efficiency during failure/abnormal condition - 20 marks
- Discipline - 10 marks
- Appearance & neatness - 10 marks
- Inter-personal relationship with superiors and colleagues - 10 marks

(Manoj Krishna Akhouri)
Principal Chief Operations Manager

उत्तर रेलवे

प्रधान कार्यालय
बड़ौदा हाउस
नई दिल्ली

पत्र सं. 403-T/190/5/OPTG/Rule/21

दिनांकः 30/05/2023

मण्डल रेल प्रबन्धक,
उत्तर रेलवे,
दिल्ली, फिरोजपुर, मुरादबाद, लखनऊ एवं अम्बाला।

विषयः उत्तर रेलवे परिचालन नियमावली 2016 का संशोधन पत्र सं.03 दिनांक 25.05.2023 (English &Hindi version)

उत्तर रेलवे परिचालन नियमावली 2016 का संशोधन पत्र सं. 03 दिनांक 25.05.2023 (अँग्रेजी व हिन्दी) की प्रतिलिपि आपके सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु भेजी जा रही है।

30/5/23

उप मुख्य परिचालन प्रबन्धक/सामान्य

प्रतिलिपिः-

1. प्रमुख मुख्य अभियन्ता, उ0रे0 बड़ौदा हाउस, नई दिल्ली। (Pr.CE)
2. प्रमुख मुख्य संरक्षा अधिकारी, उ0रे0 बड़ौदा हाउस, नई दिल्ली। (Pr. CSO)
3. प्रमुख मुख्य विद्युत अभियन्ता, उ0रे0 बड़ौदा हाउस, नई दिल्ली। (Pr. CEE)
4. प्रमुख मुख्य सिगनलएवं दूर संचरा अभियन्ता, उ0रे0 बड़ौदा हाउस, नई दिल्ली। (Pr. CSTE)
5. प्रमुख मुख्ययांत्रिक अभियन्ता, उ0रे0 बड़ौदा हाउस, नई दिल्ली। (Pr. CME)
6. मुख्य चलस्टाक अभियन्ता, उ0रे0 बड़ौदा हाउस, नई दिल्ली। (CRSE)
7. वरिष्ठ मण्डल परिचालन प्रबंधक, उ0रे0, दिल्ली फिरोजपुर, मुरादाबाद, लखनऊ एवं अम्बाला ।
8. वरिष्ठ मण्डल परिचालन प्रबंधक/सा. उ0रे0, दिल्ली, फिरोजपुर, मुरादाबाद, एवं लखनऊ ।
9. मण्डल परिचालन प्रबंधक/सा. उ0रे0, अम्बाला।
10. वरिष्ठ मण्डल अभियन्ता, (आर एस ओ) उ0रे0, दिल्ली, फिरोजपुर, मुरादाबाद, लखनऊ एवं अम्बाला।
11. वरिष्ठ मण्डल विद्युत अभियन्ता/समन्वय, उ0रे0, दिल्ली, फिरोजपुर, मुरादाबाद, लखनऊ एवं अम्बाला।
12. वरिष्ठ मण्डल सिगनल एवं दूर संचार अभियन्ता, उ0रे0, दिल्ली, फिरोजपुर, मुरादाबाद, लखनऊ एवं अम्बाला।
13. वरिष्ठ मण्डल संरक्षा अधिकारी, उ0रे0, दिल्ली, फिरोजपुर, मुरादाबाद, लखनऊ एवं अम्बाला।
14. वरिष्ठ मण्डल यांत्रिक अभियन्ता, उ0रे0, दिल्ली, फिरोजपुर, मुरादाबाद, लखनऊ एवं अम्बाला।
15. प्रधानाचार्य, क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान, उ0रे0, उत्तर रेलव चन्दौसी।
16. प्रभारी प्रशिक्षक, संरक्षा शिविर/मंडल परिचालन प्रशिक्षण केन्द्र, उ0रे0, फिरोजपुर, लखनऊ, धर्मपुर, कुरुक्षेत्र,कालका NM.शाहजहाँपुर एवं मुरादाबाद ।
17. मुख्य मुद्रण एवं लेखन सामग्री प्रबन्धक, उ0रे0 शकूरबस्ती (दो प्रति) कृपया उपरोक्त संशोदन पत्र सं. 02 दिनांक .05.2023 को उत्तर रेलवे गजट में प्रकाशित करें।
18. प्रमुख मुख्य परिचालन प्रबंधक, उत्तर पश्चिम रेलवे NWR जयपुर, उत्तर मध्य रेलवे NCRसूबेदार गंज प्रयागराज,पश्चिम मध्य रेलवे WCR जबलपुर, उत्तर पूर्व रेलवे NER गोरखपुर, पूर्व मध्य रेलवे ECRहाजीपुर व पूर्व रेलवे ER कोलकाता।
19. Pr.COM प्रमुख मुख्य परिचालन प्रबंधक, CFTM, मुख्य माल भाडा यातायात प्रबंधक CTPM मुख्य यातायात योजना प्रबंधक, COM/G मुख्य परिचालन प्रबंधक/सामान्य & CPTM मुख्य यात्री यातायात प्रबंधक।

Amendment slip No. 03 dated 25.05.2023 to the Operating Manual, 2016, of Northern Railway.

Delete the existing para 29001 and substitute as under:

29001: PERIODICAL MEDICAL EXAMINATION:
(These Rules may read in conjuction with amendments carried out from time to time)

Periodical Re-examination of serving Railway employees: Para 514 (IRMM)

In order to ensure the continuous ability of Railway employees in class A-1, A-2, A-3, B-1 and B-2 to discharge their duties with safety, they will be required to appear for re-examination at the following stated intervals throughout their service.

(A) Category A-1, A-2, A-3:

i) At termination of every period of four years, calculated from the date of first medical examination for appointment, until they attain the age of 45 years and then every 2 years until the age of 55 years and thereafter annually, until the conclusion of their service.

ii) If an employee in medical category "A" has been periodically medically examined at any time within 2 years prior to his attaining the age of 45 years, his next medical examination will be held 2 years from the date of last medical examination and subsequent medical examinations every 2 years until 55 years age and then annually thereafter until retirement. If, however such an employee has been medically examined at any time earlier than two years prior to his attaining the age of 45 years, his next medical examination should be held on the date he attains the age of 45 and subsequent medical examinations every two years thereafter.

(B) Category B-1 & B-2: On attaining the age of 45 years and thereafter at the termination of every five years.

(C) Category C-1 and C-2: Will not be required to undergo any re-examination during the course of their services, unless specifically directed.

(D) Any Railway employee in service may be required to undergo tests for vision and general physical examination in the event of his failure to comply with signals.

(E) Special Medical Examination: The staff in the categories A-1, A-2, A-3 should be sent for special medical examination in the interest of safety under the following circumstances unless they have been under treatment of a Railway Medical Officer:

(a) Having undergone any treatment or operation for eye irrespective of the duration of sickness.

(b) Absence from duty for a period in excess of 90 days.

(c) In case of A-1, A-2 and A-3 an employee may be asked to give an undertaking to his supervisor when reporting back to duty after leave or absence, irrespective of the period, that he has not suffered from any eye disease or undergone any eye operation.

Classification of Staff (Para 510 IRMM):
For the purpose of visual acuity and general physical examination of candidates and of serving

Railway employees, the non- Gazetted Railway services are divided into the following broad groups and classes.

Groups Classes: 'A' Vision tests required in the interest of public safety:

A-1	Footplate staff, Railcar drivers and Navigating staff (For footplate staff see Para 520 IRMM).
A-2	Other running staff, shunting staff, Points men, Station Masters, and other staff in operative control of signals.
A-3	Loco, signal and transportation inspectors, staff authorised to work trolleys, yard supervisory staff, Road motor drivers and gate keepers on level crossings.

Manoj K. Akhouri

(Manoj Krishna Akhouri)
Principal Chief Operations Manager

उत्तर रेलवे, परिचालन नियमावली, 2016 का संशोधन पत्र सं. 3, दिनांकः 25.05.2023

वर्तमान पैरा 29001 को मिटायें और निम्नानुसार प्रतिस्थापित करें:

29001: आवधिक चिकित्सा जांचः
(ये नियम समय–समय पर जारी संशोधनों के अनुसार देखे जाएं)

सेवारत रेल कर्मियों की आवधिक पुनः जांच पैरा 514 (भा.रे.चि. नियमावली)

(1) यह सुनिश्चित करने के लिए कि वर्ग ए–1, ए–2, ए–3, बी–1 एवं बी–2 के रेल कर्मचारी अपनी–अपनी ड्यूटी के संरक्षापूर्ण निर्वहन में बराबर समर्थ बने रहे जैसा नीचे बताया गया है, उन्हें अपने सेवाकाल में निम्नलिखित अन्तराल पर पुनः परीक्षा देनी होगीः–

(अ) श्रेणी ए–1, ए–2 एवं ए–3

(i) उनकी नियुक्ति की तारीख से परिकलित करते हुए हर चार वर्ष बाद, जब तक कि वे 45 वर्ष के न हो जाए और उसके बाद हर दो वर्ष बाद, जब तक कि वे 55 वर्ष के न हो जायें, और उसके बाद हर वर्ष जब तक उनकी सेवा समाप्त न हो जाए।

(ii) यदि श्रेणी ए में किसी कर्मचारी की आवधिक चिकित्सा परीक्षा 45 वर्ष की आयु होने के पहले दो साल के अन्दर की गई है तो उसकी अगली चिकित्सा परीक्षा की तारीख से दो वर्ष बाद की जाए और उसके बाद की चिकित्सा परीक्षाएं हर दो साल पर की जाए जब तक कि वह 55 वर्ष का न हो जाए, और उसके बाद प्रति वर्ष जब तक सेवानिवृत्त न हो जाए। लेकिन यदि ऐसे कर्मचारी की 45 वर्ष की आयु होने से दो वर्ष पूर्व से किसी समय पहले चिकित्सा परीक्षा की गई है तो 45 वर्ष की आयु होने की तारीख को उसकी अगली चिकित्सा परीक्षा की जाए और बाद की चिकित्सा परीक्षा उसके बाद प्रति दो वर्ष पर की जाए।

(ब) श्रेणी बी–1, एवं बी–2: 45 वर्ष की उम्र के हो जाने पर एवं उसके बाद प्रत्येक पांच वर्षों के समापन पर।
(स) श्रेणी सी–1 एवं सी–2: इनकी पूर्ण जाचं की आवश्यकता पूरी सेवा के दौरान बिना विशेष निर्देश के नहीं होगी।
(द) रेलवे सिगनल की अवहेलना करने पर किसी भी रेलवे कर्मचारी को दृष्टि जांच एवं सामान्य शारीरिक जांच परीक्षा हेतु भेजा जा सकता है।

(इ) **विशेष चिकित्सा जांचः** वे कर्मचारी जो ए–1, ए–2 एवं ए–3 वर्ग के हैं उन्हें संरक्षा के हित में निम्न परिस्थितियों में विशेष चिकित्सा जांच में भेजा जाना चाहिए यदि वे रेलवे चिकित्सा अधिकारी के इलाज में न हों:–
(क) सिक की अवधि को ध्यान में रखे बिना आंख का इलाज या शल्य किया करवाई गई हो।
(ख) अपनी ड्यूटी से 90 दिन से अधिक अनुपस्थित रहे हों।
(ग) ए–1, ए–2 एवं ए–3 श्रेणी की स्थिति में कर्मचारी को अनुपस्थिति या छुट्टी की अवधि के बाद कार्य वापसी पर आने पर अवकाश या अनुपस्थिति की अवधि को ध्यान में रखे बगैर अपने पर्यवेक्षक को आश्वासन देना होगा कि उसे आंख का कोई रोग नहीं है या उसने आंख की कोई शल्य किया नहीं करवाई है।

कर्मचारियों का वर्गीकरण (पैरा 510 भा.रे.चि.नि.) :
सेवारत रेल कर्मियों और उम्मीदवारों की दृश्यता और सामान्य शारीरिक जांच करने के प्रयोजनार्थ गैर–राजपत्रित रेल सेवाओं को निम्न बृहत ग्रुप और श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।

ग्रुप श्रेणी: जन संरक्षा के हितों में 'A' दृश्यता अपेक्षित जांचः

A-1	फुटप्लेट स्टाफ, रेलकार ड्राइवर और नेविगेटिंग स्टाफ (फुटप्लेट स्टाफ के लिए पैरा 520 भा.रे.चि. नियम देखें)
A-2	अन्य परिचालन स्टाफ, शंटिंग स्टाफ, प्वाइंट्समैन, स्टेशन मास्टर और अन्य वे कर्मचारी जो सिग्नलों का संचालन करते हैं।
A-3	लोको, सिगनल व परिचालन निरीक्षक, ट्रॉली संचालित करने वाला अधिकृत स्टाफ, यार्ड पर्यवेक्षीय स्टाफ, रोड मोटर ड्राइवर और समपारों पर गेटकीपर।

मनोज अखौरी

(मनोज कृष्ण अखौरी)
प्रमुख मुख्य परिचालन प्रबंधक

उत्तर रेलवे

प्रधान कार्यालय
बड़ौदा हाउस नई दिल्ली

पत्र सं. 403-T/190/5/OPTG/Rule/21

दिनांक: 16/06/2023

मण्डल रेल प्रबन्धक,
उत्तर रेलवे,
दिल्ली, फिरोजपुर मुरादबाद, लखनऊ एवं अम्बाला।

विषय: उत्तर रेलवे परिचालन नियमावली 2016 का संशोधन पत्र सं.03 दिनांक 25.05.2023 (English &Hindi version) को वापस लेने व पुन: संशोधित पत्र सं.03 दिनांक 16.06.2023 को प्रति स्थापित करने के संबंध में ।

इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 30.05.2023 द्वारा जारी उत्तर रेलवे परिचालन नियमावली 2016 का संशोधन पत्र सं. 03 दिनांक 25.05.2023 (अँग्रेजी व हिन्दी) को वापस लिया गया है । उसके स्थान पर उत्तर रेलवे परिचालन नियमावली 2016 का संशोधित संशोधन पत्र सं.03 दिनांक 16.06.2023 (अँग्रेजी व हिन्दी) जारी किया गया है । जिसकी प्रतिलिपि आपके सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु भेजी जा रही है।

16/6/23
उप मुख्य परिचालन प्रबन्धक/सामान्य

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख मुख्य अभियन्ता, उत्तर रेलवे , बड़ौदा हाउस, नई दिल्ली। (Pr.CE)
2. प्रमुख मुख्य संरक्षा अधिकारी, उत्तर रेलवे, बड़ौदा हाउस, नई दिल्ली। (Pr. CSO)
3. प्रमुख मुख्य विद्युत अभियन्ता, उत्तर रेलवे , बड़ौदा हाउस, नई दिल्ली। (Pr. CEE)
4. प्रमुख मुख्य सिगनल एवं दूर संचार अभियन्ता, उत्तर रेलवे, बड़ौदा हाउस, नई दिल्ली। (Pr. CSTE)
5. प्रमुख मुख्ययांत्रिक अभियन्ता, उत्तर रेलवे, बड़ौदा हाउस, नई दिल्ली। (Pr. CME)
6. मुख्य चलस्टाक अभियन्ता, उत्तर रेलवे, बड़ौदा हाउस, नई दिल्ली। (CRSE)
7. वरिष्ठ मण्डल परिचालन प्रबंधक, उत्तर रेलवे, दिल्ली फिरोजपुर, मुरादाबाद, लखनऊ एवं अम्बाला ।
8. वरिष्ठ मण्डल परिचालन प्रबंधक/सा. उत्तर रेलवे,. दिल्ली, फिरोजपुर, मुरादाबाद, एवं लखनऊ ।
9. मण्डल परिचालन प्रबंधक/सा. उत्तर रेलवे, अम्बाला।
10. वरिष्ठ मण्डल अभियन्ता, (आर एस ओ) उत्तर रेलवे, दिल्ली, फिरोजपुर, मुरादाबाद, लखनऊ एवं अम्बाला।
11. वरिष्ठ मण्डल विद्युत अभियन्ता/समन्वय, उत्तर रेलवे, दिल्ली, फिरोजपुर, मुरादाबाद, लखनऊ एवं अम्बाला।
12. वरिष्ठ मण्डल सिगनल एवं दूर संचार अभियन्ता, उत्तर रेलवे, दिल्ली, फिरोजपुर, मुरादाबाद, लखनऊ एवं अम्बाला।
13. वरिष्ठ मण्डल संरक्षा अधिकारी, उत्तर रेलवे, दिल्ली, फिरोजपुर, मुरादाबाद, लखनऊ एवं अम्बाला।
14. वरिष्ठ मण्डल यांत्रिक अभियन्ता, उत्तर रेलवे, दिल्ली, फिरोजपुर, मुरादाबाद, लखनऊ एवं अम्बाला।
15. प्रधानाचार्य, क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान, उत्तर रेलवे, चन्दौसी।
16. प्रभारी प्रशिक्षक, संरक्षा शिविर/मंडल परिचालन प्रशिक्षण केन्द्र, उत्तर रेलवे, फिरोजपुर, लखनऊ, धर्मपुर, कुरुक्षेत्र, कालका, शाहजहाँपुर एवं मुरादाबाद ।
17. मुख्य मुद्रण एवं लेखन सामग्री प्रबन्धक, उत्तर रेलवे, शकूरबस्ती (दो प्रति) कृपया उपरोक्त संशोदन पत्र सं. 03 दिनां 16.06 .2023 को उत्तर रेलवे गजट में प्रकाशित करें।
18. प्रमुख मुख्य परिचालन प्रबंधक, उत्तर पश्चिम रेलवे NWR जयपुर, उत्तर मध्य रेलवे NCRसूबेदार गंज प्रयागराज,पश्चिम मध्य रेलवे WCR जबलपुर, उत्तर पूर्व रेलवे NER गोरखपुर, पूर्व मध्य रेलवे ECRहाजीपुर व पूर्व रेलवे ER कोलकाता।
19. Pr.COM प्रमुख मुख्य परिचालन प्रबंधक, CFTM मुख्य माल भाडा यातायात प्रबंधक CTPM मुख्य यातायात योजना प्रबंधक, COM/G मुख्य परिचालन प्रबंधक/सामान्य & CPTM मुख्य यात्री यातायात प्रबंधक।

Northern Railway

Headquarters Office,
Baroda House,
New Delhi -110001.

AMENDMENT SLIP TO OPERATING MANUAL

Sub: Modified Amendment Slip No. 3 to the Operating Manual, 2016 of Northern Railway.

Amendment Slip No.3 Dated 25.05.2023 to the Operating Manual, 2016 of Northern Railway stands withdrawn.

Modified Amendment Slip No. 3 dated 16.06.2023 to the Operating Manual, 2016 of Northern Railway is as under:

Delete the existing Para 29001 and substitute as under;

29001: Periodical Medical Examination:
(These rules may read in conjunction with amendments carried out from time to time).

Time when candidates are to be sent for Medical Examination: (Para 513 IRMM)

I. The medical examination of the candidates selected for appointment against post for which initial training has been prescribed should be conducted immediately prior to their being deputed for training.

II. In the case of candidates to be appointed against post for which no initial training is necessary, the medical examination should be conducted at the time of their appointment.

Periodical Re-examination of serving Railway employees: (Para 514 IRMM)

In order to ensure the continuous ability of Railway employees in class A-1, A-2, A-3, B-1 and B-2 to discharge their duties with safety, they will be required to appear for re-examination at the following stated intervals throughout their service.

(A) Category A-1, A-2, and A-3:

(i) At the termination of every period of four years, calculated from the date of appointment, until they attain the age of 45 years, and then every two years until the age of 55 years and then there after annually, until the conclusion of their service.

Manoj K. Akhouri

(ii) If an employee in medical category A has been periodically medically examined at any time within two years prior to his attaining the age of 45, his next medical examination should be held two years from the date of the last medical examination and subsequent medical examinations every two years until 55 years and then annually thereafter until retirement. If however such an employee has been medically examined at any time earlier than two years prior to his attaining the age of 45 years, his next medical examination should be held on the date he attains the age of 45 and subsequent medical examinations every two years thereafter.

(B) **Category B-1 and B-2: -** On attaining the age of 45 years, and thereafter at the termination of every period of 5 years.

(C) **Category C-1 and C-2: -** Will not be required to undergo any re-examination during the course of their service, unless specifically directed.

(D) Any Railway employee in service may be required to undergo tests for vision and general physical examination the event of his failure to comply with signals.

(E) **Special Medical Examination:** The staff in the categories A-1, A-2, A-3 should be sent for special medical examination in the interest of safety under the following circumstances unless they have been under the treatment of a Railway Medical Officer:

(a) Having undergone any treatment or operation for eye irrespective of the duration of sickness.
(b) Absence from duty for a period in excess of 90 days.
(c) In case of A-1, A-2, and A-3 an employee may be asked to give an undertaking to his supervisor when reporting back to duty after leave or absence, irrespective of the period, that he has not suffered from any eye disease or undergone an eye operation.

Classification of staff (Para 510 IRMM):

For the purpose of visual acuity and general physical examination of candidates and of serving Railway employee, the non- Gazetted Railway services are divided into the following broad groups and classes.

Group A - Vision test required in the interest of public safety:

Class	Description
A-1	Footplate staff, Railcar drivers and Navigating staff (For footplate staff see para 520 IRMM)

Manoj K. Akhouri

A-2	Other running staff, other Shunting staff, Points men, Station Masters, and other staff in operative control of signals.
A-3	Loco, Signal and Transportation inspectors, staff authorized to work trolleys, Yard supervisory staff. Road motor Drivers and Gate Keepers on level crossings.

Group B- Vision tests required in the interest of the employee himself or his fellow workers or both:

Class	Description
B-1	Such station and yard non supervisory, shed and other staff, excluding shed man, as are engaged on duties where failing eye sight may endanger themselves or other employee from moving vehicles, Road Motor drivers, Permanent Way Mistries, Gang mates, Keyman, and staff of the Railway Protection Force.

(Manoj Krishna Akhouri)
Principal Chief Operations Manager

No.403-T/190/5/Optg/AS/21
Dated: 16.06.2023

उत्तर रेलवे

प्रधान कार्यालय,
बड़ोदा हाउस,
नई दिल्ली - 110001

परिचालन नियमावली का संशोधन पत्र

उत्तर रेलवे, परिचालन नियमावली, 2016 का संशोधन पत्र सं. 3, दिनांक 25.05.2023 वापस लिया गया।

विषय: उत्तर रेलवे, परिचालन नियमावली, 2016 की संशोधित, संशोधन पर्ची सं. 3, दिनांक:16.06.2023:

वर्तमान पैरा 29001 को हटायें और निम्नानुसार प्रतिस्थापित करें:

29001: आवधिक चिकित्सा जांच:
(ये नियम समय–समय पर जारी संशोधनों के अनुसार देखे जाएं)

उम्मीदवारों को चिकित्सा परीक्षा के लिए किस समय भेजा जाए: (भा.रे.चि.नियमावली–पैरा 513)

(I) जिन पदों के लिए आरंभिक प्रशिक्षण निर्धारित है उन पर नियुक्ति के लिए चुने गए उम्मीदवारों को चिकित्सा परीक्षा प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्त किए जाने के तुरंत पहले की जानी चाहिए।

(II) जिन पदों के लिए आरंभिक प्रशिक्षण आवश्यक नहीं है, उनपर नियुक्त किए जाने वाले उम्मीदवारों के मामले में चिकित्सा परीक्षा, नियुक्ति के समय की जाए।

सेवारत रेल कर्मचारियों की आवधिक पुर्नपरीक्षा: (भा.रे.चि.नियमावली–पैरा 514)

यह सुनिश्चित करने के लिए कि वर्ग ए–1, ए–2, ए–3, बी–1 एवं बी–2 के रेल कर्मचारी अपनी–अपनी ड्यूटी के संरक्षापूर्ण निर्वहन में बराबर समर्थ बने रहे जैसा नीचे बताया गया है, उन्हें अपने सेवाकाल में निम्नलिखित अन्तराल पर पुनः परीक्षा देनी होगी:–

(अ) **श्रेणी ए–1, ए–2 एवं ए–3**

(i) उनकी नियुक्ति की तारीख से परिकलित करते हुए हर चार वर्ष बाद, जब तक कि वे 45 वर्ष के न हो जाए और उसके बाद हर दो वर्ष बाद, जब तक कि वे 55 वर्ष के न हो जायें, और उसके बाद हर वर्ष जब तक उनकी सेवा समाप्त न हो जाए।

(ii) यदि श्रेणी ए में किसी कर्मचारी की आवधिक चिकित्सा परीक्षा 45 वर्ष की आयु होने के पहले दो साल के अन्दर की गई है तो उसकी अगली चिकित्सा परीक्षा पिछली चिकित्सा परीक्षा की तारीख से दो वर्ष बाद की जाए और उसके बाद की चिकित्सा परीक्षाएं हर दो साल पर की जाए जब तक कि वह 55 वर्ष का न हो जाए, और उसके बाद प्रति वर्ष जब तक सेवानिवृत्त न हो जाए। लेकिन यदि ऐसे कर्मचारी की 45 वर्ष की आयु होने से दो वर्ष पूर्व से किसी समय पहले चिकित्सा परीक्षा की गई है तो 45 वर्ष की आयु होने की तारीख को उसकी अगली चिकित्सा परीक्षा की जाए और बाद की चिकित्सा परीक्षा उसके बाद प्रति दो वर्ष पर की जाए।

(ब) श्रेणी बी–1, एवं बी–2: 45 वर्ष की उम्र के हो जाने पर एवं उसके बाद प्रत्येक पांच वर्षों के समापन पर।

(स) श्रेणी सी–1 एवं सी–2: इनकी पुनः जांच की आवश्यकता पूरी सेवा के दौरान बिना विशेष निर्देश के नहीं होगी।

Manoj K. Agarwal

(द) रेलवे सिगनल की अवहेलना करने पर किसी भी रेलवे कर्मचारी को दृश्टि जांच एवं सामान्य शारीरिक जांच परीक्षा हेतु भेजा जा सकता है।

(इ) विशेष चिकित्सा जांचः वे कर्मचारी जो ए–1, ए–2 एवं ए–3 वर्ग के हैं उन्हें संरक्षा के हित में निम्न परिस्थितियों में विशेष चिकित्सा जांच में भेजा जाना चाहिए यदि वे रेलवे चिकित्सा अधिकारी के इलाज में न हों:–

(क) सिक की अवधि को ध्यान में रखे बिना आंख का इलाज या शल्य किया करवाई गई हो।

(ख) अपनी ड्यूटी से 90 दिन से अधिक अनुपस्थित रहे हों।

(ग) ए–1, ए–2 एवं ए–3 श्रेणी की स्थिति में कर्मचारी को अनुपस्थिति या छुट्टी की अवधि के बाद कार्य वापसी पर आने पर अवकाश या अनुपस्थिति की अवधि को ध्यान में रखे बगैर अपने पर्यवेक्षक को आश्वासन देना होगा कि उसे आंख का कोई रोग नहीं है या उसने आंख की कोई भाल्य किया नहीं करवाई है।

कर्मचारियों का वर्गीकरण (पैरा 510 भा.रे.चि.नि.) :

उम्मीदवारों एवं सेवारत रेल कर्मचारियों की शारीरिक परीक्षा के प्रयोजन से अराजपत्रित रेल सेवाएं मोटे तौर पर निम्नलिखित वर्गों और श्रेणियों में विभाजित की गई हैं।

वर्ग: ए- जन संरक्षा के हित मे आवश्यक दृष्टि परीक्षा:

श्रेणी	विवरण
ए-1	फुटप्लेट स्टाफ, रेलकार ड्राइवर और नेविगेटिंग स्टाफ (फुटप्लेट स्टाफ के लिए पैरा 520 भा.रे.चि. नियम देखें)
ए-2	अन्य परिचालन स्टाफ, भांटिंग स्टाफ, प्वाइंट्समैन, स्टेशन मास्टर और अन्य वे कर्मचारी जो सिग्नलों का संचालन करते हैं।
ए-3	लोको, सिगनल व परिचालन निरीक्षक, ट्रॉली संचालित करने वाला अधिकृत स्टाफ, यार्ड पर्यवेक्षीय स्टाफ, रोड मोटर ड्राइवर और समपारों पर गेटकीपर।

वर्ग: बी- कर्मचारी के अपने या उसके सहकर्मियों अथवा दोनों के हित में आवश्यक दृष्टि परीक्षा:

श्रेणी	विवरण
बी–1	ऐसे अपर्यवेक्षी स्टेशन और यार्ड कर्मचारी, शेड कर्मचारी और अन्य कर्मचारी (शेड प्रभारी को छोड़कर) जो ऐसी ड्यूटी पर लगे हैं जहां दृष्टि कमजोर हो जाने से वे स्वयं को या अन्य कर्मचारियों को गतिशील वाहनों द्वारा संकट में डाल सकते हैं, सड़क मोटर चालक, रेलपथ मिस्त्री, श्रमिक दल के साथी, कुंजी धारक व रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारी।

Manoj K. Akhouri

(मनोज कृष्ण अखौरी)
प्रमुख मुख्य परिचालन प्रबंधक

403-टी/190/5/Optg/AS/21
दिनांक: 16.06.2023